

विहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग, विहार

अ धि सू च न ा

स्ववाधारक स्थापना की अनुमति प्राप्त **कम्पौ ब्लू प्रिन्सिपल व त्जाय** संस्था

को विहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, १९८१ की धारा १९ ८१ की धारा १९ (पथारांशोधित) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या ४१ दिनांक ४-४-९५ में निहित शर्तों के अलोक में स्ववाधारक विद्यालय के रूप में प्रसूकृति (स्थायी मान्यता) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

- १ इस विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा कोई आवर्तक / अनावर्तक अथवा क्षतिपूर्ति अनुदान अनुमान्य नहीं होगा ।
- २ इस विद्यालय के कार्य संचालन के लिये एक प्रबंध समिति होगी जिसमें राज्य सरकार के शिक्षा निदेशक (प्रभारी माध्यमिक शिक्षा) द्वारा नाम निदेशित एक स्थानीय सरकारी पदाधिकारी सदस्य के रूप में होंगे ।
- ३ इस विद्यालय की प्रबंध समिति के गठन के लिये एक नियमावली बनायी जायेगी जिसके अनुसार कालान्तर में पूर्ण गठन किया जा सकेगा ।
- ४ इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकैत्तर कर्मचारियों की संसर्गिक न्याय पर आधारित एक सेवा शर्त नियमावली होगी जो विद्यालय के स्ववाधारकों द्वारा तैयार की जायेगी तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार के सूचनार्थ दे दी जायेगी ।
- ५ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित निष्पत्ति, पाठ्यक्रम, शिक्षकों / प्रधानाध्यापकों पदों पर नियुक्ति की लिये मानक अर्हता, पदसूचन एवं अन्य बात जिनका पालन करना माध्यमिक शिक्षा स्तरोंन्नयन के लिये आवश्यक, अनुपालन करना स्ववाधारक विद्यालय का दायित्व होगा ।
- ६ इस विद्यालय द्वारा छात्रों से ले ही शुल्क लिये जायेगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित हो ।
- ७ विद्यालय मानव संसाधन विकास विभाग के प्राधिकृत निरीक्षी पदाधिकारियों, अरीनिक पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिये किसी भी कार्य के दिन खुला रहेगा ।

- ८ विद्यालय द्वारा अलग-अलग विषय के शिक्षक रखे जायेंगे जिसमें प्रधाना-  
-ध्यापक के अतिरिक्त कम से कम तीन भाषा , दो मानवीक , दो विज्ञान  
समूह एवं एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के शिक्षक रखे जायेंगे ।
- ९ विद्यालय का पूरा वित्तीय भार शिक्षा प्रसार के लिये स्ववाधारक द्वारा  
बहन किया जायेगा ।

सरकार के  सचिव , बिहार

२३६८


ज्ञापक-----/पटना, दिनांक ३१/७/६६  
प्रतिलिपि- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक, सतलज पसकडल, धर पटना प्रमंडल पटना  
जिला शिक्षा पदाधिकारी , सोहाय्य

सचिव , बिहार विद्यालय परीक्षा समिति , पटना-१७

सचिव / प्रधानाध्यापक , कल्पनी अरुच विद्यालय राजाजी सोहाय्य

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रभाकर जनु

सरकार के  सचिव  
बिहार, पटना ।  
/ प्रमंडल  
२३/७/६६